न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज0)

पीठासीन अधिकारी:–श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या:– 105/2019 :–26.07.2019

1. छिन्द्रपाल कौर पत्नी श्री सुखचैनसिंह
2. सुखचैनसिंह पुत्र श्री लालसिंह

} अकवाम जटसिख निवासी 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(वादीगण)

बनाम

1. सरदूलसिंह पुत्र श्री लालसिंह (मृतक)
   - 1(1) गुरमेलकौर पत्नी श्री सरदूलसिंह
   - 1(2) मनजिन्द्रकौर
   - 1(3) हरजिन्द्रकौर
   - 1(4) दलजीतसिंह

   } पि0 श्री सरदूलसिंह } अकवाम जटसिख निवासी 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति:–

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक वादी नं0 1
2. श्री यशवन्त बिष्णु अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1 (1) ता 1(4)
3. प्रतिवादी नं0 2 व 3 बाद सूचना अनुपस्थित।

::– निर्णय –:: दिनांक :– 23.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 आरटीए के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ के चक 22 एलजीडब्लयु प0न0 37/289 कि0न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि वादी नं0 2 सुखचेनसिंह, प्रतिवादी नं0 1 सरदूलसिंह व भगवानकौर पत्नी श्री लालसिंह जटसिख के नाम ब0हि0ब0 दर्ज पटवार वाके है। जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 संलग्न है। उक्त भूमि वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1 तथा भगवानकौर द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 13.07.1965 से खरीदशुदा हैं। भगवानकौर पत्नी श्री लालसिंह जो कि वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1 की माता हैं, का देहान्त दिनांक 04.10.2007 को हो गया है। मृतक श्रीमति भगवानकौर वादी नं0 1 की सास थी। वोह अन्तिम समय में वादी नं0 1 के साथ रही तथा उसकी देखभाल की, रोटी कपड़ा दवा दारू भी की तथा अन्तिम संस्कार भी वादी नं0 1 व वादी नं0 1 के पति वादी नं0 2 द्वारा ही किया गया।

वादी नं0 1 की सेवा चाकरी से खुश होकर स्व0 श्रीमति भगवानकौर द्वारा उपरोक्त भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की वसीयत रोबरू गवाहान दिनांक 07.07.2014 को वादिया के पक्ष में कर दी। अतः वादी नं0 1 भगवानकौर के नाम की उपरोक्त /3 हिस्सा की भूमि को घोषणात्मक वादपत्र अपने नाम से करवाने के हकदार हैं वा वसीयत की रूह से वादिया नं0 1 1/3 हिस्सा की खातेदार कृषक है तथा उक्त घोषणा के बाद वादीगण चक 22 एलजीडब्लयु प0न0 37/289 कि0न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 = 15.00 बीघा का खाता प्रतिवादी नं0 1 से अलग करवाने के हकदार है।

इसके अलावा वादीगण द्वारा वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2008 को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के समक्ष भी प्रस्तुत किया जो प्रकरण नं0 02/2008 को स्वीकार कर वसीयत अनुसार अमलदरामद करने के आदेश भी पारीत किये जा चुके है। जिसकी प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है। उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा बदयानतिपूर्वक विपक्षी पार्टी के साथ सांठ गांठ कर उक्त आदेश की अवहेलना की व आदेश की पालना न करते हुये नामान्तकरण दर्ज कर वादी नं0 1 के विरूद्व डिक्री की। वादीगण द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार के समक्ष दिनांक 13.08.2009 को नामान्तकरण की नकल देने की बाबत उपस्थित हुये तो दोनो पक्षकारो के मध्य तनाव हो गया तथा तहसीलदार द्वारा नकल की प्रति देने से इंकार कर दिया बस यही बर निबाय वाद मुखास्मत है। इसके अलावा वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ हिस्से से अधिक 1.14 बीघा भूमि पर अतिक्मी की हैसियत से काबिज होने पर बतौर हर्जाना मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ति कायम करने की याचना वादपत्र के माध्यम से की।

वाद नम्बर 125 दिनांक 23.09.2009 को रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से दिनांक 26.04.2010 को अधिवक्ता श्री राकेश मनचंदा हाजिर आये । जिनके द्वारा दिनांक 10.11.2010 को जबाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा जबाबदावा के कई अवसर दिये जाने पर जबाब दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 10.03.2011 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 का जबाब दावा बन्द कर दिया गया।

दावा व जबाबदावा के आधार पर दिनांक 14.11.2011 को कुल 9 तनकी निर्धारित की गई जिसमें चार तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर तथा पांच तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। दिनांक 13.12.2011 को महेन्द्रसिंह, सुखेदवसिंह, छिन्द्रपालकौर द्वारा साक्ष्यवादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये। पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक 14.12.2011 मुकर्रर की गई। दिनांक 14.12.2011 को गवाह वादी आने पर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जिरह न करवाकर प्रार्थना पत्र तनकी कायम करने व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। वादीगण द्वारा एतराज करने पर प्रतिवादी नं0 1 पर 500/-रूपया हर्जाना कायम किया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी दायर की गई। जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 961/2012 पर दर्ज की गई। पत्रावली दिनांक 09.02.2012 को राजस्व मण्डल प्रेषित कर दी गई।

यह कि आदेश दिनांक 14.12.2011 के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.01.2019 को खारीज कर दी गई। जो पत्र संख्या 2657 दिनांक 06.02.2019 को प्राप्त होने पर दिनांक 26.07.2019 को पेशी में ली गई। वादी नं0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश सारस्वत हाजिर आये तथा वकील प्रतिवादी नं0 1 श्री राकेश मनचंदा द्वारा प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु होने की सूचना दी गई। वकील वादी को प्रतिवादी नं0 1 के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 28.01.2020 को मर्कर्र की गई।

यह कि दिनांक 31.12.2019 को वकील वादी नं0 1 द्वारा पत्रावली को पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवादी नं0 1 सरदूलसिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी प्रस्तुत कर स्व0 श्री सरदूलसिंह के वारिसो को प्रतिवादी नं0 1 स्व0 श्री सरदूलसिंह के स्थान पर पक्षकार संयोजित करने की याचना की तथा वकील वादी द्वारा यह याचना की भी की गई की वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 स्व0 श्री सरदूलसिंह के वारिसान के मध्य राजीनामा हो चुका है। दोनो पक्षकार राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री करवाना चाहते है। असल राजीनामा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। दोनो प्रार्थना पत्र न्यायहित में दिनांक 31.12.2019 स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। असल राजीनामा भी पत्रावली में शामिल किये जाने के आदेश दिये गये।

दिनांक 31.12.2019 को स्व0 श्री सरदूलसिंह के जायज वारिसान वकील श्री यशवन्तविष्णु सारस्वत के साथ हाजिर आये तथा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री करने एवं खाता संयुक्त रखने हेतु दोनो पक्षकारो ने अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दोनो पक्षकारो द्वारा बहस में सहमति प्रकट करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि चक 22 एलजीडब्लयु प0न0 37/289 कि0न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि वादी नं0 2 सुखचेनसिंह, प्रतिवादी नं0 1 स्व0 श्री सरदूलसिंह व भगवानकौर पत्नी श्री लालसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 13.07.1965 से ब0हि0ब0 खरीदशुदा हैं। जिसमें भगवानकौर पत्नी श्री लालसिंह का 1/3 हिस्सा है। जो कि स्व0 श्रीमति भगवानकौर की स्वअर्जित सम्पति है। श्रीमति भगवानकौर द्वारा उपरोक्त भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की वसीयत रोबरू गवाहान दिनांक 07.07.2014 को वादिया के पक्ष में कर दी। जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा अपने राजीनामा के माध्यम से स्वीकार किया है। इसलिये वादी नं0 1 श्रीमति छिन्द्रपालकौर, स्व0 श्रीमति भगवानकौर के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा को वसीयत दिनांक 07.07.2004 की रूह से अपने नाम करवाने की हकदार हैं।

अत: वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि वादाधीन भूमि चक 22 एलजीडब्लयु प0न0 37/289 कि0न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि में स्व0 श्रीमति भगवानकौर के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की वादी नं0 1 श्रीमति छिन्द्रपालकौर को खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्त खाता में स्व0 श्रीमति भगवानकौर का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी नं0 1 श्रीमति छिन्द्रपालकौर को खातेदार दर्ज किया जावें। रहन का नोट व शेष अंकन जमाबंदी यथावत् रहें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(ओ.21 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(राज0)

(बइजलास : श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

-अनवान-

1. छिन्द्रपाल कौर पत्नी श्री सुखचैनसिंह
2. सुखचैनसिंह पुत्र श्री लालसिंह

} अकवाम जटसिख निवासी 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(वादीगण)

बनाम

1. सरदूलसिंह पुत्र श्री लालसिंह (मृतक)
   - 1(1) गुरमेलकौर पत्नी श्री सरदूलसिंह
   - 1(2) मनजिन्द्रकौर
   - 1(3) हरजिन्द्रकौर
   - 1(4) दलजीतसिंह

   } पि0 श्री सरदूलसिंह } अकवाम जटसिख निवासी 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ

(प्रतिवादीगण)

वादपत्र धारा 88,53,188,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 125 वर्ष 2009 नवीन मुकदमा नं0 105 वर्ष 2019 में राजीनामा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत, प्रतिवादी नं0 1(1) ता 1(4) श्री यशवन्त बिष्णु के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:-

वाके चक 22 एलजीडब्लयु प0न0 37/289 कि0न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि में स्व0 श्रीमति भगवानकौर के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की वादी नं0 1 श्रीमति छिन्द्रपालकौर को खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्त खाता में स्व0 श्रीमति भगवानकौर का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी नं0 1 श्रीमति छिन्द्रपालकौर को खातेदार दर्ज किया जावें। रहन का नोट व शेष अंकन जमाबंदी यथावत् रहें।

नोज.....×..... मुबलिग.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.....×.....फस्दो की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.01.2020..... को जारी किया गया ।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:15:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: